73

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग,
लखनऊ।

सं0 1327-कार्मिक/राविप-29/96-14कार्मिक/87, दिनांक 11 जुलाई, 1996

कार्यालय-ज्ञाप

परिषद ने विभागीय चयन समितियों की संस्तुतियों के आधार पर भरे जाने वाले सभी संवर्गों के पदों पर "श्रेष्ठता" एवं "अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता" के मापदण्डों के आधार पर प्रोन्नतियाँ किए जाने की प्रक्रिया संलग्नानुसार निर्धारित की है, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

परिषद की आज्ञा से,

रणवीर सिंह
सचिव

सं0 1327-कार्मिक II/राविप-29/96-14कार्मिक/87

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया विभागीय चयनों में परिषद द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया का अनुपालन अपने एवं अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा कराया जाना सुनिश्चित करें :-

1. अध्यक्ष के प्रमुख निजी सचिव एवं संयुक्त सचिव, उ0प्र0रा0वि0प0।
2. सदस्य, वित्त एवं लेखा/तापीय/वितरण/जल-विद्युत एवं प्रेषण, उ0प्र0रा0वि0प0।
3. सचिव/अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) के निजी सचिव/विधि अधिकारी/निदेशक (कार्मिक), उ0प्र0रा0वि0प0।
4. समस्त मुख्य अभियंता (स्तर-I व II)/समस्त नियंत्रक, उ0प्र0रा0वि0प0।
5. समस्त अधीक्षण अभियंता, उ0प्र0रा0वि0प0।
6. मुख्य लेखाधिकारी, उ0प्र0रा0वि0प0।
7. परिषद मुख्यालय के समस्त अधिकारीगण/वैयक्तिक सहायक।

आज्ञा से,

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

(विशेष चन्द शर्मा)
संयुक्त सचिव

प्रोन्नति हेतु चयन प्रक्रिया के मापदण्ड

विभागीय चयन समिति की अनुशंसा पर परिषद में भरे जाने वाले सभी संवर्गों के पदों पर "श्रेष्ठता" एवं "अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता" दोनों प्रकार के मापदण्ड के आधार पर प्रोन्नति हेतु किए जाने वाले चयन की प्रक्रिया निम्नवत निर्धारित की जाती है :-

I. जहाँ मापदण्ड ""श्रेष्ठता"" है :-

मुख्य अभियंता (स्तर-II/स्तर-III) एवं समकक्ष पदों हेतु चयन इस मापदण्ड के आधार पर किया जायेगा ।

II. पात्रता

नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक वर्ग अर्थात सामान्य, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के ज्येष्ठतम अर्ह अभ्यर्थियों की अलग-अलग पात्रता सूची तैयार की जायेगी, जिसमें यथा संभव वर्ग विशेष की रिक्तियों की संख्या के तीन गुना, किन्तु कम से कम आठ नाम रखे जायेंगे ।

परन्तु अग्रेतर, प्रतिबन्ध यह होगा कि यदि भर्ती एक से अधिक वर्ष की रिक्तियों के लिए की जाती है तब उस स्थिति में अलग-अलग वर्षों के सम्बन्ध में अलग-अलग पात्रता सूची तैयार की जायेगी तथा ऐसी सूची बनाते समय उसमें पात्र अभ्यर्थियों की संख्या निम्नानुसार रखी जायेगी :-

(क) दूसरे वर्ष के लिए — उपरोक्त अनुपात में तथा प्रथम वर्ष की रिक्तियों की संख्या का योग ।

(ख) तीसरे वर्ष के लिए — उपरोक्त अनुपात में तथा प्रथम व द्वितीय वर्ष की रिक्तियों की संख्या का योग ।

III. चयन हेतु विचारणीय अवधि

(क) प्रोन्नति हेतु जिस वर्ष की रिक्तियों के आधार पर विचार होना हो उससे पिछले दस वर्ष की अवधि की चरित्र पंजिका की प्रविष्टियों/सेवा अभिलेखों पर विचार किया जायेगा ।

(ख) पिछले दस वर्ष की अवधि में दो वर्षों की अवधि तक की प्रविष्टियां उपलब्ध न होने की दशा में उपलब्ध वर्षों की प्रविष्टियों के वार्षिक औसत के आधार पर दस वर्षों की प्रविष्टियों के अंकों की गणना की जायेगी ।

(ग) पिछले दस वर्षों की अवधि में तीन अथवा उससे अधिक वर्षों की प्रविष्टियां उपलब्ध न होने पर उतनी अवधि की पिछले दस वर्षों से ठीक पूर्व की उपलब्ध प्रविष्टियां विचार में ली जायेंगी ।

(घ) तीन महीने से कम अवधि की प्रविष्टियां, अंकों की गणना हेतु विचार में नहीं ली जायेंगी ।

(ङ) वर्ष विशेष में कम से कम चार माह अथवा उससे अधिक की प्रविष्टि उपलब्ध होने पर, उस प्रविष्टि को, पूरे वर्ष की प्रविष्टि माना जायेगा ।

(ख) किसी भी अवधि की सत्यनिष्ठा प्रमाणित न होने की दशा में सम्बन्धित वर्ष के बाद के लगातार तीन वर्षों तक सत्यनिष्ठा प्रमाणित होने से पूर्व सम्बन्धित अधिकारी को चयन हेतु उपयुक्त नहीं माना जायेगा ।

|III| चयन समिति

विभिन्न विनियमों/परिषदादेशों |यथा संशोधित| द्वारा घोषित चयन समिति का गठन किया जायेगा ।

|IV| चरित्र पंजिका के अभिलेख

परिषदादेश संख्या 6900-सी.एस./85-9सी.एस/78, दिनांक 30.5.1985, अन्य संगत आदेशों एवं उनके संशोधन यदि कोई हो, के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

|V| वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों का मूल्यांकन

|1|	उत्कृष्ट |आउटस्टेंडिंग|	–	20 अंक/	Outstanding
|2|	अति उत्तम |वेरी-गुड|	–	16 अंक /	very good
|3|	उत्तम |गुड|	–	12 अंक /	Good
|4|	सामान्य |फेयर-सेटिसफेक्टरी|	–	6 अंक /	Fair-Satisfactory
|5|	खराब |पुअर|	–	कोई अंक नहीं	/ Poor

प्रतिवेदक, समीक्षक एवं अन्तिम अधिकारी द्वारा दी गई भिन्न-भिन्न कोटियों के आधार पर निम्नानुसार मूल्यांकन किया जायेगा :-

|1|	प्रतिवेदक अधिकारी	20 प्रतिशत /	20%
|2|	समीक्षक अधिकारी	30 प्रतिशत /	30%
|3|	अन्तिम अधिकारी	50 प्रतिशत/	50%

यदि प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा दी गई प्रतिकूल प्रविष्टि, प्रभावी अधिकारी द्वारा प्रत्यावेदन करने पर पुनर्विचारोपरांत समाप्त कर दी गई है तो उस अवस्था में समीक्षक अधिकारी द्वारा दी गई टिप्पणी को संज्ञान में लिया जायेगा ।

|VI| ऋणात्मक अंकों का अर्जन

|क| निन्दा प्रविष्टि हेतु 6 अंक प्रति निन्दा प्रविष्टि घटाये जायेंगे। कोई भी निंदा प्रविष्टि सम्बन्धित अधिकारी के स्पष्टीकरण पर विचारोपरांत ही दी जाय ।

|ख| अनुशासनिक कार्यवाही के फलस्वरूप वार्षिक वेतन वृद्धि रोका जाना/आर्थिक क्षति की प्रत्यापूर्ति जैसे दण्ड पर छः से बारह अंक घटाये जायेंगे। अंक घटाते समय पाई गई अनियमितता किस प्रकार की और किस पद एवं वर्ष से सम्बन्धित है, इसका ध्यान रखा जायेगा ।

[signature]

(घ) भारी दण्ड प्राप्त की स्थिति में विचारणीय आलोच्य अवधि से पूर्व के कार्यकलापों के सम्बन्ध में प्रदत्त दण्ड पर बीस अंक तथा आलोच्य अवधि के कार्यकलापों के सम्बन्ध में प्रदत्त दण्ड पर तीस अंक घटाये जायेंगे।

(VII) प्राप्तांकों के आधार पर अभ्यर्थियों का श्रेणीकरण :

श्रेणी-1 नब्बे (90) प्रतिशत या (80 अंक) अथवा अधिक, अर्जित करने वाले अभ्यर्थी श्रेणी-1 में वर्गीकृत होंगे। इस श्रेणी हेतु अंकों का अर्जन ~~विचा~~ विचारणीय दस वर्षों की प्रविष्टियों पर किया जायेगा। विचारणीय अवधि (दस वर्ष) के अंतर्गत ऐसी प्रविष्टियाँ उपलब्ध न होने की अवस्था में विचारणीय अवधि से ठीक पूर्व की ऐसी प्रविष्टियाँ विचार में ली जायेगी तथा उस अवधि की विचारणीय अवधि की सबसे पहली प्रविष्टियाँ विलुप्त मानी जायेंगी।

श्रेणी-2 मुख्य अभियंता (स्तर-1) एवं समकक्ष पद हेतु ~~सत्तर~~ सत्तर (70) प्रतिशत (अर्थात (40) अंक) तथा

मुख्य अभियंता (स्तर-2) एवं समकक्ष पद हेतु पैंसठ (65) प्रतिशत (अर्थात (30) अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी श्रेणी-2 में वर्गीकृत होंगे। अस्थिर/उचित अधिक हैं

श्रेणी-3 श्रेणी-2 में विभिन्न स्तर के अधिकारियों के मापदण्डों से कम प्राप्तांक वाले अभ्यर्थी श्रेणी-3 में वर्गीकृत होंगे।

(VIII) चयन तथा चयन सूची का तैयार किया जाना

(क) पूर्वांकित प्रस्तर- (VII) के अनुसार श्रेणी-3 में वर्गीकृत अभ्यर्थी किसी भी पद पर चयन हेतु उपयुक्त नहीं होंगे।

(ख) प्रस्तर (VII) के अनुसार वर्गीकृत/वर्गीकरण करने के पश्चात सर्वप्रथम श्रेणी-1 के अभ्यर्थियों में से उनके वरिष्ठता क्रम के अनुसार चयन किया जायेगा। तदनन्तर आवश्यकतानुसार श्रेणी-2 के अभ्यर्थियों में से शेष रिक्तियों के लिए चयन किया जायेगा। इस प्रकार विभिन्न वर्गों के श्रेणी-1, 2 में से चयनित समस्त अभ्यर्थियों के नाम उनके मूल वरिष्ठता क्रमानुसार पुनर्व्यवस्थित करके चयन सूची (सेलेक्ट लिस्ट) बनाई जायेगी जो उनकी पारस्परिक वरिष्ठता सूची होगी तथा इसी वरिष्ठता सूची के क्रमानुसार ही नियुक्ति आदेश जारी किए जायेंगे।

2. जहाँ अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता मापदण्ड है

मुख्य अभियंता (स्तर-1)/(स्तर-2) एवं समकक्ष पदों से निम्न स्तर के पदों के अधिकारियों/कर्मचारियों का चयन इस मापदण्ड के आधार पर किया जायेगा।

(1) पात्रता नियुक्ति प्राधिकारी प्रत्येक वर्ग अर्थात सामान्य, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के ज्येष्ठतम अर्ह अभ्यर्थियों की अलग-अलग तीन सूचियाँ उक्त वर्ग के लिए उपलब्ध

रिक्तियों को दृष्टि में रखते हुए तैयार करेगा, जिसमें यथा सम्भव निम्नलिखित अनुपात में नाम लिए जायेंगे:-

एक से पांच रिक्तियों के लिए	रिक्तियों की संख्या का दुगना, किन्तु कम से कम पांच
पांच से अधिक रिक्तियों के लिए	रिक्तियों की संख्या का डेढ़ गुना, किन्तु कम से कम दस ।

परन्तु और प्रतिबंध यह होगा कि यदि भर्ती एक से अधिक वर्ष की रिक्तियों के लिए की जानी है तब उस स्थिति में अलग-अलग वर्षों के सम्बंध में अलग-2 पात्रता सूची तैयार की जायेगी तथा ऐसी सूची बनाते समय उसमें पात्र अभ्यर्थियों की संख्या निम्नानुसार रखी जायेगी :-

[क]	दूसरे वर्ष के लिए	उपरोक्त अनुपात में तथा प्रथम वर्ष की रिक्तियों की संख्या का योग ।
[ख]	तीसरे वर्ष के लिए	उपरोक्त अनुपात में तथा प्रथम व द्वितीय वर्षों की रिक्तियों की संख्या का योग ।

[ii] <u>चयन हेतु विचारणीय अवधि</u>

[क] चयन हेतु प्रोन्नति के पद से ठीक पिछले पद पर की गई सेवा की अवधि अथवा दस वर्ष, जो भी कम हो, की वार्षिक चरित्र पंजिका [सी.आर.डोजियर]/सेवा अभिलेख [पर्सनल फाइल] विचार में... लिए जायेंगे ।

[ख] तीन महीने से कम अवधि की प्रविष्टियाँ विचार में नहीं ली जायेंगी।

[ग] कम से कम चार माह अथवा उससे अधिक की प्रविष्टि उपलब्ध होने पर, उस प्रविष्टि को, पूरे वर्ष की प्रविष्टि माना जायेगा ।

[घ] किसी भी अवधि की सत्यनिष्ठा प्रमाणित न होने की दशा में सम्बन्धित वर्ष के बाद के लगातार तीन वर्षों तक सत्यनिष्ठा प्रमाणित होने से पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी चयन हेतु उपयुक्त नहीं माना जायेगा ।

[iii] <u>चयन समिति</u>

विभिन्न विनियमों/परिषदादेशों [यथा संशोधित] द्वारा घोषित चयन समिति का गठन किया जायेगा ।

<u>चरित्र पंजिका के अभिलेख</u>

[क] विचाराधीन सेवा अवधि में दिए गए दण्डों के सम्बन्ध में जिस वर्ष दण्ड दिया गया है उस वर्ष की प्रविष्टि खराब/प्रतिकूल मानी जायेगी दण्ड लघु या वृहद हो सकता है। जहाँ किसी अधिकारी को लघु दण्ड प्रदान किया गया हो वहाँ उसकी एक गोपनीय प्रविष्टि उस वर्ष की खराब मानी जायेगी, जिस वर्ष उसे दण्ड प्रदान किया गया है। परन्तु यदि लघु दण्ड स्वरूप उसकी एक या एक से अधिक वेतन

वृद्धि रोकी गई हो अथवा वृहद दण्ड प्रदान किया गया हो तो उन मामलों में जिस वर्ष उनको दण्ड दिया गया है उस वर्ष की प्रविष्टि खराब/प्रतिकूल माने जाने के अलावा अतिरिक्त वर्ष/वर्षों की प्रविष्टि प्रतिकूल माने जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित चयन समिति द्वारा, दिये गये दण्ड को ध्यान में रखते हुए, निर्णय लिया जायेगा ।

[ख] परिषदादेश संख्या 6900=सी.एक्स/65-9सी.एक्स/70, दिनांक 30.5.1985, अन्य संगत आदेशों एवं उनके संशोधन यदि कोई हो, के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

चयन तथा चयन सूची को तैयार किया जाना ।

[क] अधिशासी अभियंता एवं अन्य संवर्गों के समकक्ष स्तर तक के पदों पर प्रोन्नति हेतु "अनुपयुक्त" ऐसे अभ्यर्थी को माना जायेगा जिसकी दस वर्ष की सेवा अवधि में अर्जित खराब/प्रतिकूल वार्षिक प्रविष्टियों [दण्ड के फलस्वरूप मानी गई खराब/प्रतिकूल वार्षिक प्रविष्टियों को सम्मिलित करते हुए] की संख्या चार अथवा उससे अधिक है ।

प्रतिबन्ध यह होगा कि सम्बन्धित अधिकारी की अन्तिम तीन वार्षिक गोपनीय आख्याओं में से दो वार्षिक गोपनीय आख्यायें, अन्तिम वर्ष को सम्मिलित करते हुए, ठीक होना आवश्यक होगा ।

दस वर्ष से कम की विचारणीय सेवा अवधि के मामलों में उपयुक्तानुसार खराब/प्रतिकूल प्रविष्टियों की संख्या 40 [चालीस] प्रतिशत अथवा उससे अधिक होगी ।

[ख] अधीक्षण अभियंता एवं अन्य संवर्गों के समकक्ष स्तर के पदों पर प्रोन्नति हेतु अनुपयुक्त ऐसे अभ्यर्थी को माना जायेगा, जिसकी दस वर्ष की सेवा अवधि में अर्जित खराब/प्रतिकूल वार्षिक प्रविष्टियों [दण्ड के फलस्वरूप मानी गई खराब/प्रतिकूल वार्षिक प्रविष्टियों को सम्मिलित करते हुए] की संख्या तीन अथवा उससे अधिक हो। प्रतिबन्ध यह होगा कि सम्बन्धित अधिकारी की अन्तिम तीन वार्षिक गोपनीय आख्याओं में से दो वार्षिक गोपनीय आख्यायें, अन्तिम वर्ष को सम्मिलित करते हुए, ठीक होना आवश्यक होगा ।

दस वर्ष से कम की विचारणीय सेवा अवधि के मामले में उपर्युक्तानुसार खराब/प्रतिकूल प्रविष्टियों की संख्या 30 [तीस] प्रतिशत अथवा उससे अधिक होगी ।

[ग] इस सिद्धान्त के अनुसार रिक्तियों को देखते हुए उनके अनुपात में निर्धारित संख्या के पात्रता क्षेत्र के अभ्यर्थियों के नामों पर वरिष्ठता क्रम में विचार किया जाना चाहिए। सर्वप्रथम वरिष्ठतम

के नामों पर विचार किया जाना चाहिए, जब तक रिक्तियों की तुलना में वांछित संख्या में प्रोन्नति के लिए उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो जाय। जब प्रोन्नति के लिए वांछित संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध हो जाय तब उसके बाद के अभ्यर्थियों के नामों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। विभिन्न वर्गों के चयनित अभ्यर्थियों के नाम उनके मूल वरिष्ठता क्रमानुसार पुनर्व्यवस्थित करके चयन सूची [सेलेक्ट लिस्ट] बनाई जायेगी, जो उनकी पारस्परिक वरिष्ठता सूची होगी तथा इसी वरिष्ठता सूची के क्रमानुसार ही नियुक्ति आदेश जारी किए जायेंगे।

3. उपर्युक्तानुसार दोनों प्रकार के चयनों हेतु निर्धारित मापदण्डों से अनाच्छादित बिन्दुओं के सम्बन्ध में चयन समिति अपने विवेक से निर्णय लेगी।

ह० अपठनीय

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग,
लखनऊ ।

सं० 287-का.वि.श्री/रा.नि.प.-29/97-14का.वि.श्री/87 दिनांक 25 फरवरी, 1997

कार्यालय ज्ञाप

प्राविधिक एवं वित्त नीति अनुभाग-29

परिषद में विभागीय चयन समितियों की अनुशंसाओं के आधार पर भरे जाने वाले सभी संवर्गों के पदों पर "श्रेष्ठता" एवं अनुपयुक्तता को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के मानदण्डों के आधार पर प्रोन्नतियाँ किए जाने से सम्बन्धित प्रक्रिया विषयक कार्यालय ज्ञाप सं० 1327-का.वि.श्री/रा.नि.प.-29/96-14का.वि.श्री/87, दिनांक 11 जुलाई, 96 के संलग्न प्रक्रिया अनुदेशों के मद 1, 2 को, जैसा कि अधोलिखित तालिका के कालम-1 में निर्दिष्ट है, को कालम-2 में निर्दिष्ट द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :-

विद्यमान व्यवस्था	प्रतिस्थापित व्यवस्था
1	2
1. जहाँ मापदण्ड "श्रेष्ठता" है	
मुख्य अभियंता (स्तर-1/(1)) एवं समकक्ष पदों हेतु चयन इस मापदण्ड के आधार पर किया जायेगा।	मुख्य अभियंता (स्तर-1/1) तथा अधीक्षण अभियंता एवं समकक्ष पदों हेतु चयन इस मापदण्ड के आधार पर किया जायेगा ।
(VII) प्राप्तांकों के आधार पर अभ्यर्थियों का श्रेणीकरण	(VII) प्राप्तांकों के आधार पर अभ्यर्थियों का श्रेणीकरण
श्रेणी-1 सबसे (90) प्रतिशत या (80 अंक), अथवा अधिक, अर्जित करने वाले अभ्यर्थी श्रेणी-1 में वर्गीकृत होंगे। इस श्रेणी हेतु अंकों का अर्जन जिन विचाराधीन दस वर्षों की प्रविष्टियों पर किया जायेगा। विचाराधीन अवधि (दस वर्ष) के अंतर्गत ऐसी प्रविष्टियाँ उपलब्ध न होने की अवस्था में विचाराधीन अवधि से ठीक पूर्व की ऐसी प्रविष्टियाँ विचार में ली जायेंगी तथा इस अवधि की विचाराधीन अवधि की सबसे पहली प्रविष्टियाँ विलुप्त मानी जायेंगी ।	श्रेणी-1 सबसे (90) प्रतिशत या (80 अंक), अथवा अधिक, अर्जित करने वाले अभ्यर्थी श्रेणी-1 में वर्गीकृत होंगे। इस श्रेणी हेतु अंकों का अर्जन विचाराधीन दस वर्षों की प्रविष्टियों पर किया जायेगा। विचाराधीन अवधि (दस वर्ष) के अंतर्गत ऐसी प्रविष्टियाँ उपलब्ध न होने की अवस्था में विचाराधीन अवधि से ठीक पूर्व की ऐसी प्रविष्टियाँ विचार में ली जायेंगी तथा इस अवधि की विचाराधीन अवधि की सबसे पहली प्रविष्टियाँ विलुप्त मानी जायेंगी ।

क्रमशः....2

1	2
श्रेणी-2 मुख्य अभियंता (स्तर-1) एवं समकक्ष पद हेतु सत्तर (70) प्रतिशत (अर्थात (40) अंक तथा मुख्य अभियंता (स्तर-2) एवं समकक्ष पद हेतु पैंसठ (65) प्रतिशत (अर्थात (30) अंक ।	श्रेणी-2 मुख्य अभियंता (स्तर-1) एवं समकक्ष पद हेतु सत्तर (70) प्रतिशत (अर्थात (40) अंक तथा मुख्य अभियंता (स्तर-2) एवं समकक्ष पद हेतु पैंसठ (65) प्रतिशत (अर्थात (30) अंक तथा अधीक्षण अभियंता एवं समकक्ष पद हेतु (60) प्रतिशत (अर्थात (20) अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी श्रेणी-2 में वर्गीकृत होंगे।
श्रेणी-3 श्रेणी-2 में विभिन्न स्तर के अधिकारियों के मापदण्डों से कम प्राप्तांक वाले अभ्यर्थी श्रेणी-3 में वर्गीकृत होंगे। चयन तथा चयन सूची का तैयार किया जाना ।	श्रेणी-3 श्रेणी-2 में विभिन्न स्तर के अधिकारियों के मापदण्डों से कम प्राप्तांक वाले अभ्यर्थी श्रेणी-3 में वर्गीकृत होंगे । चयन तथा चयन सूची का तैयार किया जाना ।
(ख) अधीक्षण अभियंता एवं अन्य संवर्गों के समकक्ष स्तर के पदों पर प्रोन्नति हेतु अनुपयुक्त ऐसे अभ्यर्थी को माना जायेगा, जिसकी दस वर्ष की सेवा अवधि में अर्जित खराब/प्रतिकूल वार्षिक प्रविष्टियाँ (दण्ड के फलस्वरूप मानी गई खराब/प्रतिकूल वार्षिक प्रविष्टियों को सम्मिलित करते हुए) की संख्या तीन अथवा उससे अधिक हो। प्रतिबन्ध यह होगा कि संबंधित अधिकारी की अन्तिम तीन वार्षिक गोपनीय आख्याओं में	विलुप्त

क्रमशः.....3/

2

से दो वार्षिक गोपनीय
आख्यायें, अन्तिम वर्ष
को सम्मिलित करते हुए,
ठीक होना आवश्यक
होगा ।

दस वर्ष से कम की
विचारणीय सेवा अवधि के
मामले में उपर्युक्तानुसार
खराब/प्रतिकूल प्रविष्टियों
की संख्या-30 [तीस] प्रतिशत
अथवा उससे अधिक होगी ।

[2] परिषदीय कार्यालय ज्ञाप संख्या [327-का.चि.नी/रा.वि.प-29/96-14का.चि.नी/87, दिनांक 11 जुलाई, 1996 में विहित अन्य प्राविधान यथावत् प्रयोज्य होंगे ।

अध्यक्ष

सं0 327 [1]का.चि.नी/राविप-29/97-14का.चि.नी/87

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष के प्रमुख निजी सचिव एवं संयुक्त सचिव, उ0 प्र0 रा0 वि0 प0 ।
2. सदस्य [वि. एवं ले.]/[तापीय]/[वितरण]/[जल-विद्युत एवं प्रेषण], उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद ।
3. सचिव/अपर सचिव[प्रथम]/[द्वितीय]/[तृतीय] के निजी सचिव/विधि अधिकारी/निदेशक[कार्मिक], उ0प्र0रा0वि0प0 ।
4. समस्त मुख्य अभियंता [स्तर-I व II]/नियंत्रक [लेखा एवं प्रशासन], उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद ।
5. समस्त अधीक्षण अभियंता, उ0प्र0 रा0 वि0 प0 ।
6. मुख्य लेखा अधिकारी, उ0 प्र0 रा0 वि0 प0 ।
7. परिषद मुख्यालय के समस्त अधिकारी/वैयक्तिक सहायक ।

आज्ञा से,

[जे0 सी0 शास्त्री]
अनु सचिव

उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि०
"शक्ति भवन," 14-अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्या-1440-का/पिनी/आ०का०लि-29/2000-14का०पिनी/87 दिनांक-01 जून, 2000.

विषय:- मौलिक चयन में अर्हकारी सेवा की गणना के सम्बन्ध में।

कार्यालय-ज्ञाप

1- प्रायः देखा गया है कि स्पष्ट प्राविधानों के अभाव में ऐसे कार्मिकों की वरिष्ठता प्रभावित होती है जो पूर्व चयन में किसी कारण से अवक्रमित होने के कारण बाद के चयन में अवक्रमित होने का कारण समाप्त होने पर चयनित होते हैं, और इस मध्य उनसे कनिष्ठ कार्मिक चयनित होकर प्रोन्नति प्राप्त कर लेते हैं। इससे उत्पन्न विसंगति तथा समस्या के निवारणार्थ परिषदादेश सं0-1327-का पिनी/आ-विप-29/96-14का०पिनी/86, दिनांक 11-7-96 जिसमें "श्रेष्ठता" एवं "अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता" के आधार पर प्रोन्नतियां किये जाने की प्रक्रिया निर्धारित है, में उ०प्र०शासन के शासनादेश सं0-555/का-1-1-1993, दिनांक 15.4.93 के प्रस्तर-14 में उल्लिखित निम्न व्यवस्था को जोड़ने/अंगीकृत किये जाने के एतद्द्वारा सहर्ष आदेश दिये जाते हैं:-

"यदि किसी कार्मिक को पोषक पद पर किसी पूर्ववर्ती तिथि से नोशनल पदोन्नति दी गयी हो, तो उक्त नोशनल पदोन्नति की तिथि से उसे सम्बन्धित पोषक पद पर कार्यरत परिकल्पित करते हुए उसकी अर्हकारी सेवा की गणना की जाये और यदि उक्त नोशनल पदोन्नति की तिथि के आधार पर वह अर्हकारी सेवा पूरी कर ली हो तथा वह पात्रता की अन्य शर्तें, यदि कोई हो, भी पूरी करता हो तो इस बात के बावजूद कि उसने वास्तव में निर्धारित अवधि की सेवा पूरी नहीं की है, उसे पात्रता सूची में शामिल किया जायेगा।"

2- उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

संचालक मंडल की आज्ञा से,

भुवन चन्द्र पाण्डेय
निदेशक (कार्मिक एवं प्रबन्धन)

संख्या-1440(1)का/पिनी/आ०का०लि-29/2000, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
(2) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०जल विद्युत निगम लि०, लखनऊ।
(3) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
(4) समस्त निदेशकगण के निजी सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
(5) समस्त मुख्य महाप्रबन्धक, उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि०।
(6) मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र०पा०का०लि०, 14-विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ।
(7) समस्त महाप्रबन्धक, उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि०।
(8) समस्त उप महाप्रबन्धक, उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि०।
(9) समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि०।
(10) समस्त अधिकारी, उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
(11) उप महाप्रबन्धक (बैठक), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को बैठक दिनांक 7.4.2000 में मद सं0-[illegible]/2000 पर लिये गये निर्णय के सन्दर्भ में।

आज्ञा से,

उ0प्र0 अन्वेषण - मौलिक (1) (69)

उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0
"शक्ति भवन," 14-अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्या-1440-का0(मिनी)/आर0का0नि-29/2000-1(का0मिनी)/07 दिनांक-01 जून, 2000.

विषय:- मौलिक सेवा में अधिकारी सेवा की गणना के सम्बन्ध में।

कार्यालय-ज्ञाप

प्रायः देखा गया है कि वाइट प्रविधानों के अभाव में ऐसे कार्मिकों की वरिष्ठता प्रभावित होती है जो पूर्व पद में किसी कारण से अवरुद्ध होने के कारण अपने पद में आच्छादित होने का अवसर समाप्त होने पर पदोन्नत होते हैं, और इस मध्य उनसे कनिष्ठ कार्मिक पदोन्नत होकर पदोन्नति प्राप्त कर लेते हैं। इससे उत्पन्न विसंगति निवारण, समीक्षा के निवारणार्थ परिषदादेश सं0-1327-का0(मिनी)/आर0क0-29/96-1(का0मिनी)/96, दिनांक 11-7.96 जिसमें "श्रेष्ठता" एवं "अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नतियां किये जाने की प्रक्रिया निर्धारित है, में उ0प्र0शासन के शासनादेश सं0-155/का0-1-1-1993, दिनांक 15.4.93 के प्रस्तर-14 में उल्लिखित निम्न अनुच्छेद व्यवस्था को अंगीकृत किये जाने के एतद्द्वारा सहर्ष आदेश दिये जाते हैं:-

"यदि किसी कार्मिक को पोषक पद पर किसी भूतलक्षी तिथि से नोशनल पदोन्नति दी गयी हो, तो उक्त नोशनल पदोन्नति की तिथि से उसे संबंधित पोषक पद पर कार्यरत परिकल्पित करते हुए उसकी अर्हकारी सेवा की गणना की जाये और यदि उक्त नोशनल पदोन्नति की तिथि के आधार पर वांछित अर्हकारी सेवा पूरी कर ली हो तथा वह भी पाया जाय कि अन्य सभी पात्र कार्मिकों ने भी पूरी करता हो तो इस बात के बावजूद कि उसने वास्तव में नियुक्ति के आधार की सेवा पूरी नहीं की है, उसे पात्रता सूची में शामिल किया जाये।"

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

संचालक मंडल की आज्ञा से,

पूरन चन्द पाण्डेय
निदेशक(कार्मिक एवं प्रबन्धन)।

संख्या-1440(1)का0मिनी/आर0का0नि-29/2000, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
(1) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
(2) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ।
(3) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
(4) समस्त निदेशकगण के निजी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के [illegible]
(5) समस्त मुख्य महाप्रबन्धक, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।
(6) मुख्य अभियन्ता जल विद्युत, उ0प्र0पा0का0लि0, [illegible]
(7) समस्त महाप्रबन्धक, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।
(8) समस्त उप महाप्रबन्धक, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।
(9) समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।
(10) समस्त अधिकारी, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
(11) उप महाप्रबन्धक(लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को [illegible] दिनांक 7.4.2000 के पत्र सं0-[illegible]/2000 [illegible] विषय के सन्दर्भ में।

आज्ञा से,
[illegible]

अनुलग्नक-तीन (1) 67

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद
"शक्ति भवन," 14-अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्या-1585-कार्मिनी/रा०वि०प०-29/2000-14-कार्मिनी/87 दिनांक-11 जनवरी, 2000.

कार्यालय-ज्ञाप

परिषद में विभागीय चयन समितियों की अनुशंसाओं के आधार पर भरे जाने वाले सभी संवर्गों के पदों पर "श्रेष्ठता" एवं "अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता" के मापदण्डों के आधार पर प्रोन्नतियां किये जाने से संबंधित प्रक्रिया निर्धारण विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या-1327-कार्मिनी/रा०वि०प०-29/96-14-कार्मिनी/87, दिनांक 11 जुलाई, 1996 के साथ संलग्न चयन प्रक्रिया के मापदण्ड/अनुदेशों के मद-2 के बिन्दु (IV) (क)-(चयन तथा चयन सूची का तैयार किया जाना) में, जैसा कि अधोलिखित तालिका के कालम-1 में निर्दिष्ट है, को एतद्द्वारा कालम-2 में निर्दिष्ट व्यवस्था द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:-

विद्यमान व्यवस्था	प्रतिस्थापित व्यवस्था
-1-	-2-
2. जहां अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता मापदण्ड है xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (IV) चयन तथा चयन सूची का तैयार किया जाना।	
(क) अधिशासी अभियन्ता एवं अन्य संवर्गों के समकक्ष स्तर तक के पदों पर प्रोन्नति हेतु "अनुपयुक्त" ऐसे अभ्यर्थी को माना जायेगा जिसकी दस वर्ष की सेवा अवधि में अर्जित खराब/प्रतिकूल वार्षिक प्रविष्टियों (दण्ड के फलस्वरूप मानी गयी खराब/प्रतिकूल वार्षिक प्रविष्टियों को सम्मिलित करते हुए) की संख्या चार अथवा उससे अधिक है/प्रतिबन्ध यह होगा कि संबंधित अधिकारी की अन्तिम तीन वार्षिक गोपनीय आख्याओं में से दो वार्षिक गोपनीय आख्यायें, अन्तिम वर्ष को सम्मिलित करते हुए, ठीक होना आवश्यक होगा।	(क) अधिशासी अभियन्ता एवं अन्य संवर्गों के समकक्ष स्तर तक के पदों पर प्रोन्नति हेतु "अनुपयुक्त" ऐसे अभ्यर्थी को माना जायेगा जिसकी दस वर्षों की सेवा अवधि में अर्जित खराब/प्रतिकूल वार्षिक प्रविष्टियों (दण्ड के फलस्वरूप मानी गई खराब/प्रतिकूल वार्षिक प्रविष्टियों को सम्मिलित करते हुए) की संख्या चार अथवा उससे अधिक है/प्रतिबन्ध यह होगा कि संबंधित अधिकारी की अंतिम तीन वार्षिक गोपनीय आख्याओं में से दो गोपनीय आख्यायें, अन्तिम वर्ष को सम्मिलित करते हुए, ठीक होना आवश्यक होगा। अन्तिम वर्ष की वार्षिक गोपनीय आख्या को लघु दण्ड के कारण खराब माने जाने या अथवा के बारे में निर्णय संबंधित चयन समिति द्वारा लिया जायेगा।

---2---

68

-1-	-2-
दस वर्ष से कम की विचारणीय सेवा अवधि के मामलों में उपर्युक्तानुसार खराब/प्रतिकूल प्रविष्टियों की संख्या- 40 (चालीस) प्रतिशत अथवा उससे अधिक होगी।	दस वर्ष से कम की विचारणीय सेवा अवधि के मामलों में उपर्युक्तानुसार खराब/प्रतिकूल प्रविष्टियों की संख्या-40 (चालीस) प्रतिशत अथवा उससे अधिक होगी।

2. परिषदीय कार्यालय ज्ञाप संख्या-1327-कामिनी/रा0विप-29/96-14-कामिनी/87, दिनांक 11 जुलाई, 1996 तथा पठित कार्यालय ज्ञाप संख्या-287-कामिनी/रा0विप-29/97-14कामिनी/87, दिनांक 25 फरवरी, 1997 में निहित अन्य प्राविधान यथावत् प्रभावी होंगे।

परिषद की आज्ञा से,

भुवन चन्द्र पाण्डे
सचिव

संख्या-1585(1)/कामिनी/रा0विप-29/2000, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उक्त आशय से प्रेषित कि वे कृपया विभागीय पदनों में परिषद द्वारा निर्धारित/चयन प्रक्रिया का अनुपालन अपने एवं अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा कराया जाना सुनिश्चित करें :-

(1) अध्यक्ष के प्रमुख निजी सचिव एवं संयुक्त सचिव, उ0प्र0रा0वि0प0।
(2) सदस्य (वित्त एवं लेखा)/(वितरण)/(पारेषण)/(उत्पादन), उ0प्र0राज्य विद्युत परिषद।
(3) सचिव/अपर सचिव (प्रथम)/(द्वितीय)/(तृतीय) के निजी सचिव/विधि अधिकारी/निदेशक (कार्मिक), उ0प्र0राज्य विद्युत परिषद।
(4) समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1 व 2)/समस्त नियंत्रक, उ0प्र0राज्य विद्युत परिषद।
(5) समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0राज्य विद्युत परिषद।
(6) मुख्य नियंत्रक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ।
(7) मुख्य लेखाधिकारी, उ0प्र0राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ।
(8) परिषद मुख्यालय के समस्त अधिकारीगण/बैठक सहायक (प्रस्ताव-सत्रह (7)/1999 के सन्दर्भ में)।

आज्ञा से,

(ईश्वर लाल)
संयुक्त सचिव

66

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
"शक्ति भवन," 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या-420-का0नि0/पाका लि-29/2001-14-का0नि0/07 दिनांक-24 मार्च, 2001.

विषय:- विलम्ब से चयन होने की स्थिति में पात्रता सूची में सम्मिलित होने हेतु चयन वर्ष की जुलाई की प्रथम तिथि को निर्धारित योग्यता की पूर्णता के सम्बन्ध में।

कार्यालय-ज्ञाप

विभागीय चयन समितियों की संस्तुतियों के आधार पर भरे जाने वाले समस्त संवर्गों के पदों पर "श्रेष्ठता" एवं "अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता" के मापदण्डों के आधार पर प्रोन्नतियां किये जाने एवं पोषक संवर्ग में अर्हकारी सेवा की गणना किये जाने की प्रक्रिया विषयक पूर्ववर्ती परिषद के कार्यालय-ज्ञाप संख्या 1327-का0नि0/पाका लि-29/96-14का0नि0/07, दिनांक 11.7.96 एवं पावर कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-440-का0नि0/पाका लि-29/2000-14का0नि0/07, दिनांक 01 जून, 2000 में उ0प्र0शासन के आदेश संख्या-555/का-4-1-1993, दिनांक 15-[illegible]-93 के प्रस्तर 12 में उल्लिखित निम्न उद्धृत व्यवस्था को जोड़ने/अंगीकृत किये जाने के संदर्भ में, सहर्ष आदेश किये जाते हैं:-

> "पात्रता सूची में उन कार्मिकों के नाम ही शामिल किये जायें जो संबंधित चयन वर्ष (अर्थात उस चयन वर्ष, जिसकी रिक्तियों के लिए चयन प्रस्तावित है) की प्रथम जुलाई को, तत्समय प्रभावी नियमों के अनुसार, पात्रता की समस्त निर्धारित शर्तें यथा स्थायीकरण, पोषक पद पर अर्हकारी सेवा, विभाग में निर्धारित अर्हकारी सेवा आदि जो भी संबंधित सेवा नियमावली में निर्धारित हों, पूरी करते हों व सेवा में हों। यदि कोई कार्मिक चयन वर्ष की प्रथम जुलाई को पात्रता की शर्तें पूरी करता है, पर विलम्ब से चयन सम्पन्न होने के कारण, चयन के दिनांक को वह सेवानिवृत्त हो गया है अथवा उसकी मृत्यु हो गयी है, तब भी उसका नाम यथा स्थान पात्रता सूची में रखा जाये, जैसा कि कार्यालय ज्ञाप संख्या-18/2/84-का-1, दिनांक 25 जून, 1984 में स्पष्ट किया जा चुका है।"

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,
परमार्थ सिंह
निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
"शक्ति भवन," 14-अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्या-952-कार्मिनी/पाकालि-29/2001-14कार्मिनी   दिनांक 9 जुलाई, 2001.

कार्यालय-ज्ञाप

उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0 में विभागीय चयन समितियों की अनुशंसाओं के आधार पर भरे जाने वाले सभी संवर्गों के पदों पर "श्रेष्ठता" एवं "अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता" के मापदण्डों के आधार पर प्रोन्नतियां किये जाने से संबंधित प्रक्रिया विषयक पूर्ववर्ती परिषद के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1327-कार्मिनी/राविप-29/96-14-कार्मिनी/87, दिनांक 11 जुलाई, 1996 के साथ संलग्न प्रक्रिया अनुदेशों के मद-(16) जैसा कि अधोलिखित तालिका के कालम-1 में निर्दिष्ट है, को कालम-2 में निर्दिष्ट व्यवस्था द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:-

विद्यमान व्यवस्था (1)	प्रतिस्थापित व्यवस्था (2)
(16) ऋणात्मक अंकों का अर्जन	
(क) निन्दा प्रविष्टि हेतु 6 अंक प्रति निन्दा प्रविष्टि घटाये जायेंगे। कोई भी निन्दा प्रविष्टि संबंधित अधिकारी के स्पष्टीकरण पर विचारोपरान्त ही दी जाये।	-निन्दा प्रविष्टि हेतु 6 अंक प्रति निन्दा प्रविष्टि घटाये जायेंगे जिसका प्रत्येक वर्ष में एक अंक की दर से प्रभाव कम होगा। परन्तु चौथे वर्ष के पश्चात जब उसका ऋणात्मक प्रभाव 2 अंकों तक पहुंच जायेगा, उसके अगले वर्ष में इससे कम नहीं होगा। -कोई भी निन्दा प्रविष्टि संबंधित अधिकारी के स्पष्टीकरण पर विचारोपरान्त ही दी जाये। -यह निर्णय चयन वर्ष 2001-2002 से लागू होगा। पूर्व वर्षों में लिये गये निर्णय पुनरोद्घाटित नहीं किये जायेंगे।
(ख) अनुशासनिक कार्यवाही के फलस्वरूप वार्षिक वेतन वृद्धि रोका जाना/आर्थिक क्षति की प्रत्याप्ति जैसे दण्ड पर छः से बारह अंक घटाये जायेंगे। अंक घटाते समय पाई गयी अनियमितता किस प्रकार की और किस पद एवं वर्ष से संबंधित है, इसका ध्यान रखा जायेगा।	-असंचयी प्रभाव से रोकी गयी एक वेतन वृद्धि के 6 अंक घटाये जायेंगे तथा एक से अधिक असंचयी प्रभाव से रोकी गयी वार्षिक वेतन वृद्धियों के 12 अंक घटाये जायेंगे। इन ऋणात्मक अंकों का प्रभाव प्रतिवर्ष क्रमशः 1 एवं 2 अंक की दर से कम होता चला जायेगा परन्तु यह प्रभाव क्रमशः ऋणात्मक 2 एवं ऋणात्मक 4 के पश्चात कम नहीं होगा।

--2--

	-यह निर्णय, चयन वर्ष 2001-2002 से ही लागू होगा। पूर्व वर्षों में लिये गये निर्णय पुनरोद्घाटित नहीं किये जायेंगे।
।ग। भारी दण्ड पाने की स्थिति में विचारणीय आलोच्य अवधि से पूर्व के कार्यकलापों के संबंध में प्रदत्त दण्ड पर बीस अंक तथा आलोच्य अवधि के कार्यकलापों के संबंध में प्रदत्त दण्ड पर तीस अंक घटाये जायेंगे।	-आलोच्य अवधि एवं उसके पूर्व के कार्यकलापों पर प्रदत्त भारी दण्ड के लिए 20 अंक प्रति भारी दण्ड घटाये जायेंगे। -यह निर्णय चयन वर्ष 2001-2002 से ही लागू होगा। पूर्व वर्षों में लिये गये निर्णय पुनरोद्घाटित नहीं किये जायेंगे।

2. पूर्ववर्ती परिषद के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1327-का0नि0/रा0वि0प0-29/96-1का0विनी/87, दिनांक 11 जुलाई, 1996 में निहित अन्य प्राविधान यथावत प्रयोज्य होंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

। परशुराम सिंह ।
निदेशक।कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन।

संख्या-9521।1का0विनी/पाकालि-29/2001, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

।1। अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
।2। अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ।
।3। अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
।4। समस्त निदेशकगण के निजी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
।5। समस्त मुख्य महाप्रबन्धक, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।
।6। मुख्य अभियन्ता।जल विद्युत।, उ0प्र0पा0का0लि0, 4-विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ।
।7। समस्त महाप्रबन्धक, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।
।8। महाप्रबन्धक, कम्प्यूटराइजेशन इकाई, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
।9। उप महाप्रबन्धक।प्रबन्ध सुधार एवं कार्य।, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को उनके पत्र सं0-105-प्रसु-01/पाकालि-212।प्रसु/2001, दिनांक 20.6.2001 के संदर्भ में।
।10। समस्त उप महाप्रबन्धक, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।
।11। कम्पनी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को निदेशक मण्डल की बैठक दिनांक 30.5.2001 में मद सं0-इक्कीस।24। 2001 पर लिये गये निर्णय के संदर्भ में।
।12। समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।
।13। समस्त अधिकारी, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

।ईश्वर लाल।
उप महाप्रबन्धक।का0विनी।

62

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
"शक्ति भवन" 14-अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्या-1252-का/विनी/आ/का/लि-29/2001-14-का/विनी/07, दिनांक-29 अगस्त, 2001.

कार्यालय-ज्ञाप

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० में विभागीय चयन समितियों की अनुशंसाओं के आधार पर भरे जाने वाले सभी संवर्गों के पदों पर "श्रेष्ठता" एवं "अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता" के मापदण्डों के आधार पर प्रोन्नति किये जाने से संबंधित प्रक्रिया विषयक पूर्ववर्ती परिषद के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1327-का/विनी/ए/लि-29/96-14-का/विनी/07, दिनांक 11 जुलाई, 1996 तथा इस कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-952-का/विनी/आ/का/लि-29/2001-14-का/विनी/07, दिनांक 09.7.2001 के साथ संलग्न प्रक्रिया अनुदेशों में कार्यालय ज्ञाप संख्या-1327-का/विनी/ए/लि-29/96-14-का/विनी/07, दिनांक 11.7.96 के प्रस्तर 2(क) जैसा कि अधोलिखित तालिका के स्तम्भ-1 में निर्दिष्ट है, को स्तम्भ-2 में निर्दिष्ट व्यवस्था द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :-

विद्यमान व्यवस्था (1)	प्रतिस्थापित व्यवस्था (2)
(2) चयन तथा चयन सूची को तैयार किया जाना।	
(क) अधिशासी अभियन्ता एवं अन्य संवर्गों के समकक्ष स्तर तक के पदों पर प्रोन्नति हेतु "अनुपयुक्त ऐसे अभ्यर्थी को माना जायेगा जिसकी दस वर्ष की सेवा अवधि में अर्जित खराब/प्रतिकूल वार्षिक प्रविष्टियाँ (दण्ड के फलस्वरूप मानी गयी खराब/प्रतिकूल वार्षिक प्रविष्टियों को सम्मिलित करते हुए) की संख्या चार अथवा उससे अधिक हो।	यथावत् अर्थात कोई परिवर्तन नहीं।
प्रतिबन्ध यह होगा कि संबंधित अधिकारी की अन्तिम तीन वार्षिक गोपनीय आख्याओं में से दो वार्षिक गोपनीय आख्यायें, अन्तिम वर्ष की सम्मिलित करते हुए, ठीक होना आवश्यक होगा।	प्रतिबन्ध यह होगा कि संबंधित अधिकारी की अन्तिम तीन वार्षिक गोपनीय आख्याओं में से कोई दो वार्षिक गोपनीय आख्यायें ठीक होना आवश्यक होगा।

10/9/2001

...हो सकने के कारण भी विचारणीय
सेवा अवधि के मामलों में ... — यथावत
उपर्युक्तानुसार उदाहरण/प्रतिकूल — अर्थात् कोई परिवर्तन नहीं।
प्रविष्टि हो जाने की संख्या 10 प्रतिशत
(प्रतिकूल प्रविष्टियाँ) उससे अधिक होगी।

3. (1) उपर्युक्त संशोधित व्यवस्था चयन वर्ष 2001-2002 से ही लागू होगी। पूर्व वर्षों में किये गये निर्णय पुनरीक्षित नहीं किये जायेंगे।

(2) ... परिषद के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1327-का0मि0/रा0वि0प0-29/96-(1) का0मि0/207, दिनांक 11 जुलाई, 1996 में निहित अन्य प्रावधान यथावत् प्रभावी होंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

पी. आर. सिंह
निदेशक(का0प्र0 एवं प्रशासन)।

संख्या-1252(1)का0मि0/पाकालि-29/2001, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
(2) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ।
(3) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
(4) समस्त निदेशकगण के निजी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
(5) समस्त मुख्य महाप्रबन्धक, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।
(6) मुख्य अभियन्ता(जल विद्युत), उ0प्र0पा0का0लि0, 14-विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ।
(7) समस्त महाप्रबन्धक, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।
(8) महाप्रबन्धक, कम्प्यूटराइजेशन इकाई, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
(9) समस्त उप महाप्रबन्धक, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।
(10) कम्पनी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को निदेशक मण्डल की बैठक दिनांक 10.7.2001 में मद संख्या-बारह (301/2001) पर लिये गये निर्णय के संदर्भ में।
(11) समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।
(12) समस्त अधिकारी, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

(हनुमान प्रसाद) ... 8.2001
उप महाप्रबन्धक(कार्मिक)।

संख्या 1155/कार्मिक-2-2001-53(1)/2001

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तरांचल।

कार्मिक विभाग देहरादून:दिनांक: जुलाई 18, 2001

विषय - राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं तथा सार्वजनिक उद्यमों, निगमों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा उत्तरांचल राज्य में राज्याधीन सेवाओं/सार्वजनिक उद्यमों/निगमों, स्वायत्तशासी संस्थओं/शिक्षण संस्थओं में आरक्षण की नीति निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में सम्यक् रूप से विचारोपरान्त वर्तमान जनगणना के पूर्ण व अन्तिम आकंड़े उपलब्ध होने तक, वर्तमान में उपलब्ध जनसंख्या(रैपिड सर्वे)के आंकड़ो के आधार पर आरक्षित श्रेणी की जातियों की कुल जनसंख्या में उनके प्रतिशत के एक प्रतिशत अधिक आरक्षण दिये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः उत्तरांचल राज्य में आरक्षण अनन्तिम रूप से निम्नवत् निर्धारित किये जाने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है:-

(1) अनुसूचित जाति 19%
(2) अनुसूचित जनजाति 04%
(3) अन्य पिछड़ा वर्ग 14%

शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि महिलाओं,भूतपूर्व सैनिकों,विकलांग व्यक्तियों तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों हेतु निम्नानुसार हॉरिजेन्टल आरक्षण अनुमन्य किया जाय:-

(i)	महिलायें	20%
(ii)	भूतपूर्व सैनिक	02%
(iii)	विकलांग व्यक्ति	03%
(iv)	स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित	02%

जो महिला/व्यक्ति जिस वर्ग का होगी/होगा उसे उसी वर्ग में हॉरिजेन्टल आरक्षण अनुमन्य होगा।

3. आरक्षण के सम्बन्ध में स्थायी रूप से नीति का निर्धारण पृथक से किया जायेगा।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)

सचिव

संख्या 1165 (1)/कार्मिक-2-2001 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल शासन।
2. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल, हरिद्वार।
3. निबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तरांचल,नैनीताल।
4. आयुक्त, अनुसूचित जाति तथा जनजाति, उत्तरांचल देहरादून।
5. सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल,देहरादून।
6. समस्त मंत्रियों के निजी सचिव, मा0मंत्रीगण के सूचनार्थ।
7. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0सी0लाहनी)

अनु सचिव

(59)

संख्या 1455/कार्मिक-2/2001

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
सचिव,
उत्तरॉचल शासन।

सेवा में

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तरॉचल शासन।

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरॉचल शासन।

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरॉचल।

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून:दिनॉक: 31 अगस्त, 2001

विषय :- पदोन्नतियों में आरक्षण नीति को लागू करने हेतु रोस्टर।

महोदय,

मुझे आपका ध्यान शासनादेश संख्या: 1144/का-2/2001-53(1)/2001 दिनॉक 18,जुलाई,2001 की ओर आकर्षित करते हुए यह कहने का निदेश हुआ है कि पदोन्नतियों में अनुसूचित जाति के लिए 19% तथा अनु0 जनजातियों के लिए 04% आरक्षण अनुमन्य किया गया है।

2. उपरोक्त आरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए पदोन्नतियों में आरक्षण विषयक रोस्टर शासन द्वारा निम्नवत् तैयार किया गया है:-

(1) अनुसूचित जाति
(2) अनारक्षित
(3) अनारक्षित
(4) अनारक्षित
(5) अनारक्षित
(6) अनुसूचित जाति
(7) अनारक्षित

C/

55

(8) अनारक्षित
(9) अनारक्षित
(10) अनारक्षित
(11) अनुसूचित जाति
(12) अनारक्षित
(13) अनारक्षित
(14) अनारक्षित
(15) अनारक्षित
(16) अनुसूचित जाति
(17) अनारक्षित
(18) अनारक्षित
(19) अनारक्षित
(20) अनारक्षित
(21) अनुसूचित जाति
(22) अनारक्षित
(23) अनारक्षित
(24) अनुसूचित जन जाति
(25) अनारक्षित
(26) अनुसूचित जाति
(27) अनारक्षित
(28) अनारक्षित
(29) अनारक्षित
(30) अनारक्षित
(31) अनुसूचित जाति
(32) अनारक्षित
(33) अनारक्षित
(34) अनारक्षित
(35) अनारक्षित
(36) अनुसूचित जाति
(37) अनारक्षित
(38) अनारक्षित
(39) अनारक्षित
(40) अनारक्षित
(41) अनुसूचित जाति
(42) अनारक्षित
(43) अनारक्षित
(44) अनारक्षित

57

(82) अनारक्षित
(83) अनारक्षित
(84) अनारक्षित
(85) अनारक्षित
(86) अनुसूचित जाति
(87) अनारक्षित
(88) अनारक्षित
(89) अनारक्षित
(90) अनारक्षित
(91) अनुसूचित जाति
(92) अनारक्षित
(93) अनारक्षित
(94) अनारक्षित
(95) अनारक्षित
(96) अनुसूचित जन जाति
(97) अनारक्षित
(98) अनारक्षित
(99) अनारक्षित
(100) अनारक्षित

3. अनुरोध है कि पदोन्नतियों के मामलों में उपरोक्तानुसार रोस्टर को अनुवरत रूप से लागू किया जायेगा।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
सचिव।

संख्या 1455 (1)/कार्मिक-2/2001तद्दिनांक।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों/प्राधिकारियों को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उक्त से कृपया अपने समस्त सम्बन्धित अधीनस्थों को भी अवगत कराने का कष्ट करें:-

1. सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल जो, उत्तरांचल।
2. सचिव, शिक्षा विभाग, उत्तरांचल शासन को समस्त राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन तथा सरकार के अनुदान प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं(अल्प संख्यक वर्गों द्वारा स्थापित व प्रशासित शैक्षिक- संस्थाओं को छोड़कर)इनमें किसी उत्तरांचल प्रदेश अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित समस्त विद्यालय भी सम्मिलित हैं, की सेवाओं और पदों में उपरोक्त रोस्टर को लागू कराने के अनुरोध सहित।

संख्याः 87 / XXX (2) / 2006 (44)

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव
   उत्तरांचल शासन ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तरांचल
3. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तरांचल ।

कार्मिक अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांक 21 जनवरी, 2006

विषयः राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों में सीधी भर्ती / पदोन्नति में आरक्षण के लिए पद आधारित रोस्टर लागू किया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों में अनुसूचित जाति को 19 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति को 04 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 प्रतिशत तथा पदोन्नति में अनुसूचित जाति को 19 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति को 04 प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य कराया गया है ।

2– आरक्षण नीति को लागू करने के लिए शासनादेश संख्याः 1454 / कार्मिक–2 / 2001 दि0 31 अगस्त 2001 तथा शासनादेश संख्याः 1455 / कार्मिक–2 / 2001 दिनांक 31 अगस्त 2001 द्वारा रोस्टर का निर्धारण किया गया है तथा शासनादेश संख्याः 1168 / कार्मिक–2 / 2003 दिनांक 14 अगस्त 2003 एवं शासनादेश संख्याः 269 / कार्मिक–2 / 2004 दिनांक 17 फरवरी 2004 द्वारा रोस्टर रजिस्टर तैयार किये जाने के निर्देश दिये गये हैं । कार्यालय ज्ञाप संख्याः 1801 / कार्मिक–2 / 2003 दिनांक 23 जून 2003 में भी कतिपय निर्देश दिये गये हैं ।

3– कतिपय मामलों में परीक्षण के समय यह तथ्य संज्ञान में आये हैं कि रोस्टर का रजिस्टर संवर्ग में उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर तैयार किया जा रहा है और उसी के अनुसार भरी जाने वाली रिक्तियों के लिए रोस्टर की गणना की जा रही है । राज्याधीन सेवाओं में रोस्टर के निर्धारण के संबंध में आर0 के0 सब्बरवाल व अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में (साइटेशन) में दिनांक 10.02.1995 को मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय में यह स्पष्ट किया गया है कि सेवाओं में आरक्षण का रोस्टर प्रत्येक संवर्ग में पद आधारित होना चाहिए न कि रिक्ति आधारित । यह भी स्पष्ट किया गया है कि आरक्षण कोटा जिस वर्ग हेतु जितना निर्धारित है, रोस्टर के द्वारा उसे पूर्ण करना चाहिए तथा उस वर्ग के लिए निर्धारित प्रतिशत से

00/IK

अधिक पद आरक्षित नहीं होने चाहिए । प्रत्येक आरक्षित वर्ग के लिए एक बार वांछित आरक्षण का प्रतिशत प्राप्त हो जाने पर रोस्टर का प्रयोग बन्द कर देना चाहिए । तदोपरान्त जिस वर्ग का व्यक्ति संवर्ग प्रकम से हटता है और स्थान रिक्त करता है उस वर्ग के व्यक्ति से, सीधी भर्ती/पदोन्नति जैसी भी स्थिति हो, पद भर लेना चाहिए । रोस्टर केवल विभिन्न वर्गों को उनके लिए आरक्षित कोटा भरने में मदद करने के लिए है न कि वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए ।

4— शासनादेश संख्या: 1454/कार्मिक–2/2001 दि0 31 अगस्त 2001 व शासनादेश संख्या: 1455/कार्मिक–2/2001 दिनांक 31 अगस्त 2001 द्वारा सीधी भर्ती व पदोन्नति के लिए रोस्टर जारी किये गये हैं । इन रोस्टरों का उपयोग आरक्षित वर्गों का प्रतिनिधित्व निर्धारित प्रतिशत तक प्राप्त करने के लिए किया जायेगा । रोस्टर का उपयोग तब तक ही किया जायेगा जब तक आरक्षित वर्ग का पतिनिधित्व निर्धारित प्रतिशत तक प्राप्त न हो। परन्तु यह भी ध्यान रखा जायेगा कि आरक्षित वर्गों का सकल प्रतिनिधित्व 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

5— मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार पद आधारित रोस्टर हेतु राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती/पदोन्नति में आरक्षण के लिए रोस्टर लागू किये जाने हेतु निम्नलिखित सिद्धान्त प्रतिपादित किये जा रहे हैं:—

(क) सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए पृथक–पृथक रोस्टर होगा । रोस्टर गठित करने के दो आधारभूत सिद्धान्त हैं कि सम्बन्धित आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व निर्धारित प्रतिशत तक हो तथा सकल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक न हो । किसी वर्ग के लिए आरक्षण पूर्ण होने पर रोस्टर आगे नहीं चलाया जायेगा । परन्तु यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति ज्येष्ठताकम में आने पर अनारक्षित रिक्ति के विरूद्ध श्रेष्ठता/मेरिट के आधार पर पदोन्नत होता है तो उसकी गणना अनारक्षित रिक्ति के सापेक्ष की जायेगी । परन्तु यदि अनारक्षित वर्ग के पद पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी की पदोन्नति अनुपयुक्त को छोड़ते हुए ज्येष्ठता के सिद्धान्त से की गयी हो तो उसकी गणना आरक्षित वर्ग के पद के विरूद्ध की जायेगी ।

(ख) संवर्ग में सभी पद, पद–आधारित रोस्टर के अनुरूप रखे जायेंगे । प्रारम्भिक स्तर पर इन पदों के विरूद्ध संबंधित वर्ग, जिसके लिए पद चिन्हांकित है, के अनुसार भर्ती की जायेगी तथा प्रारम्भिक रूप से भरे पदों का बाद में प्रतिस्थापन रोस्टर के अगले बिन्दु पर, जिस वर्ग के लिए पद चिन्हांकित है, किया जायेगा । परन्तु यह ध्यान रखा जायेगा कि अगला बिन्दु जिस वर्ग के लिए चिन्हांकित है, उस वर्ग का यदि प्रतिनिधित्व पूरा हो चुका है तब अगले बिन्दु को छोड़ दिया जायेगा और उसके आगे का बिन्दु जिस वर्ग के लिए आरक्षित है, उसके अनुसार भर्ती की जायेगी ।

(ग) रोस्टर प्रारम्भ करते समय विभिन्न वर्गों का वास्तविक प्रतिनिधित्व संवर्ग प्रकम पर निर्धारित किया जायेगा । रोस्टर प्रारम्भ करते समय जिस वर्ग का व्यक्ति

संवर्ग प्रकम पर है, उसे रोस्टर के संबंधित बिन्दु पर रोस्टर के प्रारम्भ की ओर से रखा जायेगा । रोस्टर प्रारम्भ करते समय संवर्ग प्रकम पर कार्यरत व्यक्तियों को रोस्टर बिन्दुओं पर रखने में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का कोई व्यक्ति जो "श्रेष्ठता/मैरिट" के आधार पर सीधे भर्ती हुआ है, की गणना अनारक्षित वर्ग में की जायेगी ।

(घ) उपरोक्तानुसार समायोजन करने के बाद विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधित्व के प्रतिशत की गणना की जायेगी । इसके उपरान्त ही पता चल पायेगा कि किस संवर्ग (काडर) में किस वर्ग की संख्या कम है अथवा अधिक है । अगर किसी आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व उनके लिए निर्धारित प्रतिशत से अधिक है तो उसे आगामी की भर्तियों में समायोजित किया जायेगा ।

(च) सीधी भर्ती पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए किसी भर्ती वर्ष में रिक्तियों की वास्तविक संख्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पद आधारित रोस्टर में रिक्त रहे, बिन्दुओं के बराबर होगी ।

(छ) सामान्यतः किसी संवर्ग में पदों की संख्या निर्धारित होती है । ऐसे संवर्ग में रोस्टर तैयार करते समय संबंधित सेवा नियमों में उस पद पर की जाने वाली भर्ती के स्रोत को ध्यान में रखा जाय, उदाहरण के लिए– यदि किसी संवर्ग में कुल स्वीकृत पदों की संख्या 200 है जिसमें सीधी भर्ती और पदोन्नति का कोटा 50–50 निर्धारित है, तो वहाँ सीधी भर्ती के लिए रोस्टर 100 पदों के लिए तथा पदोन्नति के लिए रोस्टर 100 पदों के लिए निर्धारित किया जायेगा।

(ज) विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित आरक्षण, रोस्टर द्वारा पूर्ण कर लेने के पश्चात् सेवानिवृत्ति या अन्य प्रकार से रिक्त होने वाले पदों पर जिस वर्ग के व्यक्ति द्वारा वह पद रिक्त किया गया है, उसी वर्ग के व्यक्ति से ही उस पद को भरा जायेगा, अर्थात् यदि अनारक्षित वर्ग के व्यक्ति द्वारा पद रिक्त किया गया है तो अनारक्षित वर्ग से व यदि आरक्षित वर्ग के व्यक्ति द्वारा पद रिक्त किया गया है तो सम्बन्धित आरक्षित वर्ग के व्यक्ति द्वारा पद रिक्त किया गया है तो सम्बन्धित आरक्षित वर्ग के व्यक्ति से ही पद भरा जायेगा । सभी संवर्गों में कार्यवाही (ख) के अनुसार की जायेगी ।

(झ) किसी भी संवर्ग या प्रकम में सिर्फ एक ही पद हो तो सीधी भर्ती अथवा प्रोन्नति के उस प्रकम पर एकल पद पर आरक्षण नहीं होगा । चक्रानुक्रम में भी आरक्षण नहीं किया जा सकेगा ।

(ट) महिलाओं, भूतपूर्व सैनिक, विकलांग तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को क्षैतिज (horizontal) आरक्षण निर्धारित प्रतिशतों में अनुमन्य है । क्षैतिज आरक्षण के अनुसार महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों, विकलांगों तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए सामान्य व प्रत्येक आरक्षित वर्ग में पदों की

संख्या की गणना कर लेनी चाहिए । विकलांग व्यक्तियों को आरक्षण की सुविधा उनके लिए चिन्हित पदों के विरूद्ध चयन में ही अनुमन्य है ।

(ठ) नियुक्ति/पदोन्नति के तत्काल बाद सम्बन्धित प्रविष्टि रोस्टर में अंकित की जायेगी और सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगी ।

6— यह आदेश तुरन्त प्रभावी होंगे परन्तु जिन मामले में चयन प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी हो वह अप्रभावित रहेगी और बाद में ऐसे मामलों में समायोजन कर लिया जायेगा ।

7— अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने विभाग के नियंत्रणाधीन विभिन्न सेवा संवर्गों में रोस्टर रजिस्टर तैयार किये जाने के संबंध में उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव ।

(39)

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.

कारपोरेट आफिस
CORPORATE OFFICE
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग
Human Resource & Administration

पत्रांक: 572/मा0सं0एवं0प्र0वि0/पिटकुल/पी–3

दिनांक: 30.01.2008

कार्यालय–ज्ञापन

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 में सम्प्रति प्रवृत्त " उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अभियन्ताओं की सेवा विनियमावली–1970 (यथासंशोधित), उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद लेखा (अधिकारी) सेवा विनियमावली–1984 (यथासंशोधित), आदेश संख्या: 364–विनि–23/राविप–93 दिनांक 26.11.1993 एवं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद सबऑर्डिनेट इलेक्ट्रिकल एवं मैक्नीकल इंजीनियरिंग सेवा विनियमावली–1972 (यथासंशोधित) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए संगत आदेशों में निम्न तालिका के स्तम्भ–2 में इंगित पदों से स्तम्भ–3 में इंगित पदों पर प्रोन्नति हेतु स्तम्भ–4 में यथाविहित न्यूनतम अर्हकारी सेवावधियां (Minimum Qualifying Services) को मात्र एक बार के लिए स्तम्भ–5 में दर्शित सेवावधि के रूप में शिथिल किये जाने की एतद्द्वारा अग्रलिखित प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

क्र0 सं0	पद का नाम	प्रोन्नति के पद का नाम	प्रोन्नति हेतु विहित वर्तमान न्यूनतम अर्हकारी सेवावधि	प्रोन्नति हेतु न्यूनतम अर्हकारी शिथिलित सेवावधि
1	अवर अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	10 वर्ष	7 वर्ष, (AMIE/Degree योग्यता धारकों के लिए 6 वर्ष)
2	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता	7 वर्ष	5 वर्ष
3	अधिशासी अभियन्ता	उपमहाप्रबन्धक	6 वर्ष (किन्तु सहायक अभियन्ता पद की सेवा सम्मिलित करते हुए कुल 15 वर्ष)।	4 वर्ष (किन्तु सहायक अभियन्ता पद की सेवा सम्मिलित करते हुए कुल 15 वर्ष)।
4	लेखाधिकारी	वरिष्ठ लेखाधिकारी	7 वर्ष	5वर्ष,(CA/ICWA/MBA धारकों के लिए 4 वर्ष)
5	अनुभाग अधिकारी	प्रबन्धक (अनुसचिव)	5 वर्ष	3 वर्ष, (PGD (HR) धारकों के लिए 2वर्ष)
6	निजी सचिव	निजी सचिव (श्रेणी–I)	5 वर्ष	3 वर्ष
7	उपमहाप्रबन्धक	महाप्रबन्धक	4 वर्ष	3 वर्ष

1. संगत विनियामावली एवं अनुवर्ती आदेशों में जहाँ कहीं पदोन्नति हेतु पोषक पद विशेष पर की गई सेवा के अतिरिक्त कुल सेवावधि (Total Service) का भी उल्लेख हो वहाँ कुल सेवावधि सम्बन्धी शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे, उनमें कोई शिथिलता अनुमन्य नहीं होगी।

क्रमशः 2/–

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.

कारपोरेट आफिस
CORPORATE OFFICE
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग
Human Resource & Administration

No. 2777/HR&Adm./PTCUL/H-9 **Date: 19/12/2008**

OFFICE MEMORANDUM

The proposal for formulation of guidelines in the matter of declaring In-Charge against vacancies in the higher post in the same cadre has been under active consideration of the Management in the past. After careful consideration & keeping the precedents as well as the interest/requirement of the Corporation in view, the following guidelines are hereby laid down in the matter of declaring Prabharis/In-charge:

1. The charge of higher post may be given only against the vacancies in higher promotional post in the same cadre.
2. The charge of higher post may be given only against the existing vacancies in the higher post in the same cadre in order of seniority of the employees.
3. The employee should have completed at least about 50% of the prescribed qualifying service in the existing post for promotion to next higher post in order to be considered for the above purpose.
4. No disciplinary proceedings should be pending or contemplated against the employee during the period preceding such consideration.
5. In the event delay or unwillingness or refusal, whether implied or express, for taking over charge of the higher post within the prescribed timeline by an incumbent for any reason whatsoever, the next senior-most incumbent in the same cadre will be given the charge. No representation shall be entertained.
6. Mere taking over charges of the higher post will not automatically entitle an incumbent for claiming promotion or any financial benefit. However, regular promotion shall be effected as per the existing Regulation & procedure laid down for the purpose.
7. The performance, conduct of an incumbent on taking over charges of the higher post shall be subject to periodic review.
8. In special circumstances, such decision is liable be reviewed & if necessary, withdrawn.

The above shall be subject to review from time to time depending on requirement of the Corporation and exigency of work.

This order comes into force with immediate effect.

19/12/08

(S.K. Rath)
Director -HR

CC:
1. Managing Director, PTCUL, Dehradun.
2. Executive Director – Projects, PTCUL, Dehradun.
3. CGM – O&M, PTCUL, Dehradun.
4. Company Secretary, PTCUL, Dehradun.
5. All General Managers, PTCUL.
6. All Dy. General Managers, PTCUL.

Seen.

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.

कारपोरेट आफिस
CORPORATE OFFICE
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग
Human Resource & Administration

पत्रांक: 36 / मा0सं0एवंप्र0वि0 / पिटकुल / एच–9

दिनांक: 17/01/2009

कार्यालय ज्ञाप

निगम के निदेशक मण्डल की दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 को आहूत 21वीं बैठक में लिये गये निर्णय के परिपालन में एतद्द्वारा पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 में सम्प्रति प्रवृत्त – उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अभियन्ताओं की सेवा विनियमावली–1970 (यथा संशोधित), उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद लेखा (अधिकारी) सेवा विनियमावली–1984 (यथा संशोधित) एवं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद सबऑर्डिनेट इलैक्ट्रिकल्स एवं मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेवा विनियमावली–1972 (यथा संशोधित) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए संगत आदेशों में निम्न तालिका के स्तम्भ–2 में इंगित पदों से स्तम्भ–3 में इंगित पदों पर प्रोन्नति हेतु स्तम्भ–4 में यथाविहित न्यूनतम अर्हकारी सेवावधियों (Minimum Qualifying Services) को मात्र एक बार के लिए स्तम्भ–5 में दर्शित सेवावधि के रूप में शिथिल किये जाने की एतद्द्वारा अग्रलिखित प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

क्रम सं0	पद का नाम	प्रोन्नति के पद का नाम	प्रोन्नति हेतु विहित वर्तमान न्यूनतम अर्हकारी सेवावधि	प्रोन्नति हेतु विहित वर्तमान न्यूनतम अर्हकारी शिथिलित सेवावधि
1	2	3	4	5
1	अवर अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अवर अभियन्ता के पद पर 10 वर्ष	अवर अभियन्ता के पद पर 6 वर्ष, (AMIE/Degree योग्यताधारकों के लिए 5 वर्ष। यह शिथिलीकरण 8.33 प्रतिशत कोटा हेतु लागू होगा)
2	सहायक अभियन्ता (वि0 / यां0)	अधिशासी अभियन्ता (वि0 / यां0)	सहायक अभियन्ता के पद पर 7 वर्ष	सहायक अभियन्ता के पद पर 4 वर्ष
3	सहायक अभियन्ता (जानपद)	अधिशासी अभियन्ता (जानपद)	सहायक अभियन्ता के पद पर 7 वर्ष	सहायक अभियन्ता के पद पर 4 वर्ष
4	अधिशासी अभियन्ता (वि0 / यां0)	उपमहाप्रबन्धक (वि0 / यां0)	अधिशासी अभियन्ता के पद पर 6 वर्ष (किन्तु सहायक अभियन्ता पर की सेवा सम्मिलित करते हुए कुल 15 वर्ष)	अधिशासी अभियन्ता के पद पर 4 वर्ष (किन्तु सहायक अभियन्ता पर की सेवा सम्मिलित करते हुए कुल 13 वर्ष)

क्रमशः.....2/–

(33) (11)

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.

कारपोरेट आफिस
CORPORATE OFFICE
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभा
Human Resource & Administ

पत्रांक: 1503/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/Eo-6

दिनांक: 28-10-2010

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा कार्मिकों की पदोन्नति हेतु चयन समिति के गठन सम्बन्धी पूर्ववर्ती समस्त आदेशों को अतिक्रमित करते हुए निदेशक मण्डल की 27वीं बैठक में प्रदत्त अनुमोदन के फलस्वरूप सभी संवर्गो हेतु चयन समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है:-

I. **महाप्रबन्धक, मुख्य महाप्रबन्धक एवं अधिशासी निदेशक (सभी संवर्ग) के पदों पर चयन/पदोन्नति हेतु चयन समिति:**
   1. सचिव (ऊर्जा), उत्तराखण्ड शासन या उनके द्वारा नामित विशेष श्रेणी स्तर के अधिकारी।
   2. सचिव (सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो), उत्तराखण्ड शासन या उनके द्वारा नामित अधिकारी।
   3. प्रबन्ध निदेशक, पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड।
   4. निदेशक (परिचालन)/निदेशक (परियोजना)/अधिशासी निदेशक (परियोजना), पिटकुल। {निदेशक (परियोजना/परिचालन) का पद रिक्त होने पर अधिशासी निदेशक या मुख्य महाप्रबन्धक स्तर के अधिकारी}
   5. निदेशक (मानव संसाधन), पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड।
   6. अनुसूचित जाति/जनजाति का एक सदस्य।

II. **सहायक अभियन्ता से उपमहाप्रबन्धक (सभी संवर्ग) तक के पदों पर चयन/पदोन्नति हेतु चयन समिति:**
   1. प्रबन्ध निदेशक, पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड।
   2. अपर सचिव (ऊर्जा), उत्तराखण्ड शासन।
   3. निदेशक (मानव संसाधन), पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड।
   4. निदेशक/अधिशासी निदेशक (परियोजना), पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड।
   5. अनुसूचित जाति/जनजाति का एक सदस्य।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

पत्रांक: 1503/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/ तददिनांकित्।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, 7-बी, लेन नं0-1, वसंत विहार एनक्लेव, देहरादून।
2. निदेशक (वित्त)/अधिशासी निदेशक (परियोजना), पिटकुल, ऊर्जा भवन परिसर, देहरादून।
3. मुख्य महाप्रबन्धक (परि0एवंअनु0), पिटकुल, 650-कांवली रोड, देहरादून।
4. वरिष्ठ प्रबन्धक, पिटकुल, 7-बी, लेन नं0-1, वसंत विहार एनक्लेव, देहरादून।
5. कट फाईल।

28/x/10

(एस0के0 रथ)
निदेशक (मा0सं0)

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.

कारपोरेट आफिस
CORPORATE OFFICE
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग
Human Resource & Administration

17

पत्रांकः 1457 /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/ पी-8/C-1 दिनांकः 29 /09/2011

कार्यालय ज्ञापन

एतद्द्वारा पिटकुल निदेशक मण्डल की दिनांक 19.08.2011 को आहूत 32वीं बैठक में, प्रमुख सचिव, कार्मिक अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के आदेश सं0–1674/XXX(2)/2010 दिनांक 23.11.2010 द्वारा निर्गत "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिये अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली 2010" को अंगीकार करते हुए पिटकुल में पदोन्नति हेतु अर्हकारी सेवावधि में 50% (पचास प्रतिशत) शिथिलता किये जाने के सम्बन्ध में स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:–

1. यदि कोई पद पदोन्नति द्वारा भरा जाता है और ऐसी पदोन्नति के लिए यथास्थिति, निम्नतर पद या पदों पर कोई निश्चित न्यूनतम सेवा अवधि विहित हो और पात्रता के क्षेत्र में अपेक्षित संख्या में पात्र व्यक्ति उपलब्ध न हों तो यथास्थिति उक्त निम्नतर पद या पदों पर यथा निर्धारित परिवीक्षा अवधि को छोड़कर, ऐसी विहित अवधि में पचास प्रतिशत तक यथोचित रूप से शिथिलीकरण कर सकते है।
2. परन्तुक यह कि किसी कार्मिक को पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलता पूरे सेवाकाल में केवल एक बार के लिए अनुमन्य होगी।
3. परन्तुक यह है कि पदोन्नति हेतु निर्धारित सेवा अवधि में शिथिलता का लाभ पूर्व में जिन कार्मिकों को अनुमन्य हो चुका हो उसे पुनः उक्त लाभ अनुमन्य नहीं होगा तथा उपर्युक्त शिथिलीकरण के फलस्वरूप निर्गत प्रोन्नति आदेशों में एतद्विषयक उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।
4. पदोन्नति हेतु अर्हकारी सेवा में उपरोक्त शिथिलकरण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का शिथिलीकरण अनुमन्य नहीं होगा। शिथिलीकरण नियमावली 2010 के अंगीकरण के उपरान्त इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत समस्त आदेश स्वतः ही निरस्त माने जायेंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

पत्रांकः 1457/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/ पी0-8/C-1 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, 7बी लेन–1, बसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
2. निदेशक(परि0 एवं अनु0)/(परियोजना) पिटकुल, देहरादून।
3. महाप्रबन्धक(परि0 एवं अनु0), पिटकुल, कुमॉऊ जोन,/गढ़वाल जोन, हल्द्वानी/रूड़की।
4. महाप्रबन्धक(परियोजना)/(क्रय एवंअनु0)/वित्त, पिटकुल, देहरादून ।
5. वरिष्ठ प्रबन्धक (मा0सं0), पिटकुल, 7बी लेन–1, बसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
6. वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी, पिटकुल, देहरादून।
7. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल.........
8. कट फाईल/ व्यैक्तिक पत्रावली।

(एस0के0 शर्मा)
निदेशक(मा0सं0)
o/c

D:\New Computer-1\OD-HRD & Training\H-9\H-9 OM.doc

(11)

संख्याः 902 / XXX(2) / 2012—55(47) / 2004 टी.सी.

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव / प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

2. समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग—2 देहरादूनः दिनांकः 05 सितम्बर, 2012

विषयः राज्याधीन लोक सेवाओं में प्रोन्नति में आरक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

"उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम (उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश) 2001" की धारा 3(7) के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में दायर रिट याचिका संख्या 45 (एस / बी) / 2011 विनोद प्रकाश नौटियाल व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध अन्य रिट याचिकाओ में पारित मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.07.2012 के द्वारा उक्त अधिनियम में प्रोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था से सम्बन्धित धारा 3(7) को दिनांक 10 जुलाई, 2012 से अपास्त कर दिया गया है।

2. मा0 उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि राज्याधीन लोक सेवाओं से सम्बन्धित विभिन्न संगठनात्मक ढाँचों में प्रोन्नति के समस्त पदों / रिक्तियों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को आरक्षण प्रदान किये बिना तथा प्रोन्नति में आरक्षण हेतु शासन द्वारा पूर्व में निर्गत रोस्टर व्यवस्था को लागू किये बिना भरा जायेगा।

3. इसके अतिरिक्त शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि माह जुलाई एवं माह अगस्त, 2012 के दौरान सेवानिवृत्त हुए प्रोन्नति हेतु पात्र कार्मिकों को भी 10 जुलाई, 2012 से नोशनल प्रोन्नति प्रदान की जायगी।

4. शासन के उक्त निर्णय के फलस्वरूप प्रोन्नति की प्रक्रिया को अग्रिम आदेश तक स्थगित रखे जाने विषयक शासनादेश संख्या 686 / xxx(2) / 2012—55(47) / 2004 टी.सी. दिनांक 19 जुलाई, 2012 निरस्त किया जाता है।

5 इस शासनादेश में उल्लेख किये गये निर्णय के सम्बन्ध में यदि पूर्व में निर्गत किसी शासनादेश/व्यवस्था से असंगति आती है तो ऐसे पूर्व शासनादेश/व्यवस्था उस सीमा तक अतिक्रमित समझे जायेंगे।

6 अनुरोध है कि कृपया शासन के उक्त निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
मुख्य सचिव।

संख्या : 902/XXX(2)/2012–55(47)/2004 टी.सी./तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड को महामहिम राज्यपाल के संज्ञानार्थ।
2. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड को मा0 अध्यक्ष, विधानसभा के संज्ञानार्थ।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4. समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
5. महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड।
6. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
7. मण्डलायुक्त कुमायूं/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. महानिदेशक, सूचना, उत्तराखण्ड।
10. अधिशासी निदेशक, एन.आई.सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव।

13

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग—2
संख्या : 903/XXX(2)/2012
देहरादून : दिनांक 05 सितम्बर, 2012

अधिसूचना।

"उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम (उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश) 2001" की धारा 3(7) के विरुद्ध मा. उच्च न्यायालय, नैनीताल में दायर रिट याचिका संख्या 45(एस/बी)/2011 श्री विनोद प्रकाश नौटियाल व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध अन्य रिट याचिकाओं में पारित मा. उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.07.2012 के द्वारा उक्त अधिनियम की प्रोन्नति में आरक्षण से सम्बन्धित धारा 3(7) को अपास्त करते हुए यह आदेश दिये गये हैं कि इस प्राविधान के आधार पर भविष्य में पदोन्नति नहीं की जायेगी, किन्तु यदि संवैधानिक व्यवस्था एवं एम. नागराज के प्रकरण में मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार राज्य सरकार भविष्य हेतु प्रोन्नति में आरक्षण दिये जाने के विषय पर कोई कानून बनाती है तो यह निर्णय उक्त प्रक्रिया में बाधक नहीं होगा।

2. राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उत्तराखण्ड राज्य के अधीन लोक सेवाओं में प्रोन्नति में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को आरक्षण दिये जाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में निर्णय लिये जाने हेतु मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एम. नागराज व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य के प्रकरण में पारित निर्णय के अनुसार राज्य के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग का 'पिछड़ापन', लोक सेवाओं में 'प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता' तथा 'प्रशासन में कुशलता' के बिन्दुओं पर आकड़े संग्रह करके उसका अध्ययन कर उक्त वर्गों के लिए लोक सेवाओं में प्रोन्नति में आरक्षण के सम्बन्ध में राज्य सरकार को संस्तुति एवं रिपोर्ट देने हेतु मा. न्यायमूर्ति (से.नि.) श्री इरशाद हुसैन की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय आयोग गठित करने का निर्णय लिया गया है। गठित आयोग द्वारा उक्तानुसार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के सम्बन्ध में मात्रात्मक आंकड़े संग्रह कर उसका अध्ययन करते हुए अपनी संस्तुति एवं रिपोर्ट 3 माह के अंतर्गत राज्य सरकार को उपलब्ध कराई जायेगी।

3. आयोग के अध्यक्ष की सेवा शर्तों एवं आयोग को कार्य सम्पादन के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति व परामर्श, आयोग का कार्यालय, कार्मिक तथा वाहन एवं अन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

(आलोक कुमार जैन)
मुख्य सचिव

(14)

संख्या : 908 / XXX(2) / 2012 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल को महामहिम श्री राज्यपाल के संज्ञानार्थ।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्य मंत्री को मा. मुख्य मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. प्रमुख सचिव, विधान सभा को मा. अध्यक्ष, विधान सभा के संज्ञानार्थ।
4. समस्त निजी सचिव, मा. मंत्रीगण को मा. मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
5. महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड।
6. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
7. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव / प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8. समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
9. मण्डलायुक्त, गढ़वाल / कुमायूँ मण्डल।
10. महानिदेशक, सूचना, उत्तराखण्ड।
11. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह ह्याँकी)
अपर सचिव

पावर ट्रॉंसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

CIN:- U40101UR2004SGC028675

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002

E-mail:- hr@ptcul.org

दूरभाष नं0 0135–2645249 फैक्स नं0 0135–2645249 वैबसाइट www.ptcul.org

PTCUL

पत्रांक 1072/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–3 दिनांक :09.07.2025

कार्यालय ज्ञाप

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून की अधिसूचना संख्या 287038/XXX(2)/2025-E 26213, दिनांक 28–03–2025 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली, 2025 को पिटकुल में अंगीकार किये जाने हेतु निदेशक मण्डल की दिनांक 21.06.2025 को सम्पन्न 101वीं बैठक में प्रस्ताव संख्या 101.22 रखा गया, जिस पर निदेशक मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में पदोन्नति हेतु अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण के विषय में समस्त विद्यमान नियमों एवं आदेशों को अतिक्रमित करते हुये उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली, 2025 को एतद्द्वारा निम्नवत् परिवर्तन के साथ पावर ट्रॉंसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 में अंगीकार किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

RESOLVED THAT the content of the board be and is hereby recorded to adopt the order of government of Uttarakhand vide memorandum no. 287038/XXX(2)/2025-E 26213dated 28-03-2025 for relating to benefit of essential period of service for promotion.

However, for purpose of relaxation, the proposals shall be considered by the Committee of Managing Director for all Class 1 officers, Committee of Director(HR) for all class 2 officers and committee of Chief Engineer/equivalent as constituted by Director(HR) for all class 3 & 4 employees.

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

पत्रांक: 1072/मा0सं0एवंप्र0अनु0/पिटकुल/ पी–3 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. निजी सचिव/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, निदेशक (मा0सं0)/(परिचालन)/(परियोजना)/(वित्त), पिटकुल को निदेशकगणों के संज्ञानार्थ प्रेषित।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक, पिटकुल, देहरादून।
4. कम्पनी सचिव, पिटकुल, देहरादून।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल, देहरादून।
6. समस्त अधिशासी अभियन्ता/समकक्ष अधिकारी, पिटकुल, देहरादून।
7. अधिशासी अभियन्ता, सूचना प्रौद्योगिकी, पिटकुल, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश को पिटकुल की वैबसाईट में अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।

(अशोक कुमार जुयाल)
महाप्रबन्धक (मा0सं0)